

GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

सहायक निरीक्षक (मुख्यालय)
Inspector General (HQ)

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

उप सेनानी (वार्डर/टी) / Up Sennani (IT Cell)

पत्र सं./Copy No. 1197
दिनांक/Date 29/8/16

दफ्तरी सं./Duty No. 689

दिनांक/Date 21/03/17

दिनांक: 21.7.2016

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग, संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / उद्यम / स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय / अभिकरण / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- वर्ष 2017 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय जापन सं. 18015/6/86-रा.भा.ई में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों द्वारा मंत्रालयों/ विभागों उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / लोक उद्यमों / निगमों / स्वायत्त संस्थानों, संगठनों, अभिकरणों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के (अल्पकालिक) गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि (2025) तक, प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 22.4.2015 के का० जापन सं० 12012/3/2015-रा०भा० (नीति) में संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक / स्वायत्त निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में कार्य करने में दक्ष बनाने हेतु, अभ्यास पर आधारित नया पाठ्यक्रम पारंगत लागू किया गया है ।

सभी मंत्रालयों / विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित

2...../

विशेष :- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कर्मियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग " घ " के कर्मियों को वर्ग " ग " में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार, वर्ग " ग " के कर्मियों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए उन कर्मियों के लिए, जो वर्ग " ग " श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए । इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार, अपने कार्यालय के वर्ग " घ " से "ग " में आए कर्मियों को भी नामित करने का कष्ट करें ।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र :-

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची, अनुलग्नक -II में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व अवश्य भिजवा दी जाए ।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, नामांकन की पुष्टि का पत्र संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाता है ।
- नामांकन के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि पत्र प्राप्त होने पर ही, अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त किया जाए ।

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक -III में दी गई है ।

परीक्षा


- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ, प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं ।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है ।
- नई दिल्ली, चैन्ने (राजाजी भवन) एवं बेंगलूरु केंद्रों पर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी । पारंगत की परीक्षा परंपरागत आधार पर ली जाएगी ।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु०100/-प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों को परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा करना होगा।

- यात्रा भत्ता आदि जो भी देय होगा, उसे प्रशिक्षार्थी के कार्यालय द्वारा ही वहन किया जाएगा ।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कार्यमुक्ति आदेश दिया जाता है ।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए, संबंधित सहायक निदेशक से फोन पर संपर्क करें ।
- नई दिल्ली केंद्र के अधिकारी का संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता तथा बस रूट अनुलग्नक IV पर देखें ।

भवदीय,



(डॉ० जयप्रकाश कर्दम)

निदेशक

पृष्ठांकन सं. 19011/7/2016 -कें.हिं.प्र.सं./ग.भा.प्रशि./ 291-1290

दिनांक: 21.7.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा-I) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा-II) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
4. संयुक्त निदेशक (मु0), हिंदी शिक्षण योजना, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी ।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन), व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, सैक्टर-1, नई दिल्ली- 110066
8. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बेंगलूरु, हैदराबाद ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि :-

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
प्रथम	प्रबोध	25	02.01.2017 से 06.02.2017 तक
	प्रवीण	20	07.02.2017 से 07.03.2017 तक
	प्राज्ञ	15	08.03.2017 से 29.03.2017 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
द्वितीय	प्रबोध	25	02.05.2017 से 06.06.2017 तक
	प्रवीण	20	07.06.2017 से 05.07.2017 तक
	प्राज्ञ	15	06.07.2017 से 26.07.2017 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
तृतीय	प्रवीण	20	04.09.2017 से 29.09.2017 तक
	प्राज्ञ	15	03.10.2017 से 24.10.2017 तक
	पारंगत	20	25.10.2017 से 21.11.2017 तक

(प्रशिक्षण केंद्रों की सूची)

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं. 449-ए उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
(दूरभाष 011-23063321 एक्स. 2207, फैंक्स 011-23062626
फैंक्स 011-23018740 (पृथ्वीराज रोड) नई दिल्ली-11
2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3डी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै -600090.(दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप केंद्र , द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095(दूरभाष 040-24747211)
4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप केंद्र , बी विंग, 5वाँ तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034 (फैंक्स 080-25537089)
(दूरभाष सं. 080- 25537087)
5. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन, सी विंग, छठा माला, सी.बी.डी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष-022-27572705, 27572706)
फैंक्स नं. 022-27565417
6. उप निदेशक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वाँ तल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (दूरभाष -033-22870793 और 22890038) फैंक्स नं. 033-22870793
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल, सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र, वडोदरा- 390002